Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन

वैभव कुमार[1], डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन[2]'

1. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** vk1620867@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21424970

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण इलाकों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करने वालों को हर साल कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन वाला रोजगार देना है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के चुने हुए गांवों में ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया। 'स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग' का प्रयोग करके कुल 60 लाभार्थियों को चुना गया और एक संरचित प्रश्नावली के जरिए आंकड़ों का संकलन किया गया। विश्लेषण से पता चला कि मनरेगा ने हर साल औसतन 65 दिनों का रोजगार दिया, जिसमें प्रति दिन औसतन 252 रुपए का वेतन मिला, जिससे सालाना आय 16380 रुपए हुई। मनरेगा से परिवार की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, जिससे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई। इसके अलावा, महिला प्रतिभागियों ने बेहतर आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता की बात कही, जो महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की सकारात्मक भूमिका को दिखाता है। हालांकि, मुख्य चुनौतियों में वेतन भुगतान में देरी, काम की सीमित उपलब्धता और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी शामिल थी। अध्ययन बताता है कि मनरेगा ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसे सही ढंग से लागू करना और समय पर भुगतान करना जरूरी है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 11 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 30 सितंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025

सारणी: 18 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 16

मुख्य शब्द: मनरेगा, बुनियादी जरूरतें, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र, सशक्तिकरण, समावेशी विकास।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए, मनरेगा) ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' पारित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त यह संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम वर्तमान में अधिसूचित जिलों तक ही सीमित है। प्रारंभ में अधिनियम के प्रावधानों को 2 फरवरी, 2006 से विभिन्न राज्यों के 200 जिलो में लागू किया गया है। इससे ग्रामीण लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। यह ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, महिलाओं को सशक्त बनाता है, संकटग्रस्त पलायन को कम करता है और जल निकायों और ग्रामीण सड़कों जैसी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करता है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। यह खेती के कम उपजाऊ मौसमों के दौरान नियमित काम उपलब्ध कराती है। इस अतिरिक्त आय से परिवारों को बेहतर भोजन खरीदने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने और स्थानीय साहूकारों से लिए गए ऋणों को चुकाने में मदद मिली है।

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहाँ सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। मनरेगा के तहत कम से कम एक तिहाई श्रमिकों का महिला होना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देकर यह योजना लैंगिक वेतन अंतर को कम करने में मदद करती है और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और अपने घरों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। मनरेगा से पहले, कई ग्रामीण श्रमिक रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर शहरों की यात्रा करते थे। गांवों के पास गारंटीशुदा काम उपलब्ध कराकर, यह योजना इस मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करती है और परिवारों को एकजुट रखती है। श्रमिक छोटे तालाबों, झीलों और सड़कों जैसी मूल्यवान अवसंरचनाओं का निर्माण करते हैं। यह स्थानीय विकास की नींव रखता है।

हालांकि, अपनी सफलता के बावजूद, अध्ययनों से पता चलता है कि मनरेगा में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें वेतन भुगतान में देरी, अपर्याप्त कार्यदिवस और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी शामिल है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है, लेकिन पूर्ण और समय पर कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी बाधा है। इसलिए, मनरेगा को सही ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जिससे मनरेगा पर लोगों का विश्वास बना रहे। यदि सरकारें मनरेगा पर सही से ध्यान केन्द्रित करती हैं तो मनरेगा एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम सिद्ध हो सकता है। चूँकि मनरेगा ग्रामीण विकास के लिये चलाई गई केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करके उनकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना है। इससे ग्रामीण लोगों और गाँवों का विकास प्रभावित हुआ है, क्योंकि मनरेगा पिछड़े गरीब और निम्न तबके के लोगों का सहारा बना है, उनकी आजीविका का साधन बना है।

2. साहित्य की समीक्षा :

बिष्ट (1990) ने अपनी पुस्तक 'भारत में ग्रामीण विकास' में बताया है कि सामान्यतः भारत में सामुदायिक विकास योजना को ग्रामीण विकास के लिए प्रथम प्रयास माना जाता है जबकि वास्तव में ग्रामीण विकास के प्रयास ब्रिटिश शासन काल से ही प्रारम्भ किये जा चुके थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किये गए ग्रामीण विकास के परीक्षण तथा प्रयास भारत में ग्रामीण विकास के प्रथम प्रयास माने जाते हैं, क्योंकि वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आत्मा के दर्शन ग्रामों में किया था। उस समय की ग्रामीण निर्धनता, ऋणग्रस्तता तथा अशिक्षा को देखते हुए उन्होंने 'ग्रामों में वापस जाओ' का नारा दिया था। इसके बाद मानवशास्त्रियों ने इन कठिनाइयों को सांस्कृतिक कठिनाइयों के रूप में देखा, परन्तु ये दोनों दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सही नहीं थे। किसी समाज के तीव्र आर्थिक विकास में केवल आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों को देखने से ही उनकी कठिनाइयां दूर नहीं हो सकतीं जब तक सामाजिक विकास नहीं अपनाते तब तक समाज का तीव्र विकास सम्भव नहीं हो सकता।

कोठारी (1991) ने अपनी पुस्तक 'रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट' में व्यक्त किया है कि लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में जीवन कठिन हो जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, आवास आरम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। यदि इनमें से कोई एक या सभी अनुपस्थित हों तो निश्चित रूप से निम्न विकास विद्यमान है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में चाहे वे पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, उनमें सभी के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के लिये प्रावधान किया जाता है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की आवश्यक शर्त है, जिसे ग्रामीण विकास कहते हैं।

यादव (1994) ने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण विकास के नये क्षितिज' में वर्णित किया है कि स्वतंत्रतयोत्तर भारत में सरकार द्वारा व्यवस्थित नियोजन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक दिशा में आशातीत परिवर्तन हुए हैं। इतना सब होते हुए भी अनेक क्षेत्रों में ठोस निष्कर्ष आने शेष हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अभावों, उपेक्षाओं को तोड़ने के लिये न्यायपूर्ण आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक स्वाभाविक एवं रूचिप्रद प्रवृत्ति रही है। भारतीय नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। नियोजन के प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के क्रियांवयन में अनेक कमियां रह गई थीं और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों ने जरूरतमंदों को लाभ से वंचित रखा। इन कमियों को दूर करने के लिये 1970 के दशक में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजक कार्यक्रमों में लघु एवं सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को विशेष स्थान दिया गया।

आहूजा (2006) ने अपनी पुस्तक 'एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडियाः पोस्ट लिबरेलाइजेशन इनिशियेटिव्स' में व्यक्त किया है कि ग्रामीण विकास के परिणामस्वरूप कृषि कार्यों में सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक एवं मशीनों का प्रयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं तीव्र विकास हुआ है। वर्ष 1950–51 की तुलना में खाद्यान की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में इस उन्नति के लिये ग्रामीण विकास रणनीति की भूमिका रही है। इसके तहत किसानों को नये बीज एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ इन्हें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सीएजी (2007) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किए अध्ययन में यह पाया कि मरनेगा के कियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इसको तुरंत दूर किया जाना चाहिए जिससे मरनेगा का सही कियांवयन हो सके। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पंजीकृत परिवारों में से केवल 3.2 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है।

प्रसाद, एम.आर. (2008) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गाँवों से पलायन करने की प्रवृति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा सार्थक स्तर पर पलायन को रोकने में मदद मिली है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों की आय पर सार्थक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। नकारात्मक पहलू के रूप में यह तथ्य भी सामने आया कि कई जॉब कार्ड धारियों को 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त हुआ।

सिद्धान्त, पी. (2008) ने अपने लेख में मनरेगा पर योजना आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारों को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार प्रदान किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और केरल ने मरनेगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया, वहीं पश्चिम बंगाल एवं बिहार में 26 दिन रोजगार उपलब्ध कराया। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार देश में मनरेगा के कियांवयन में सबसे पिछड़े हुए थे।

ऋर्तिका खेड़ा (2009) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में महिलाओं के विचार जानने के उद्देश्य से अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाएँ केरल, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य में थी, जबकि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में एक तिहाई से कम महिलाएँ मनरेगा के अंतगर्त कार्यरत थी। अध्ययन में चयनित महिला हितग्राहियों में से अधिकांश का यह विचार था कि मनरेगा में रोजगार प्राप्त होने के पश्चात् उनका परिवार भुखमरी की समस्या से उबर रहा है। उत्तरदाताओं में से 68 प्रतिशत महिलाओं का मानना था मरनेगा का अनके जीवन में अत्यधिक महत्व है।

मण्डाले (2010) ने अपने लेख 'मनरेगा का अनुसचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव (बालघाट जिले की कटंगी तहसील के विशेष संदर्भ में)' में यह वर्णित किया गया है कि मनरेगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने में अधिक सहायक नहीं हुई है। उन्होंने पाया कि इस योजना के बाद भी श्रमिकों को लगातार काम नहीं मिल पा रहा है। जिससे उन्हें बेरोजगार रहना पड़ रहा है और उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण उनकी दैनिक एवं प्रतिमाह आय में भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है।

बडोदिया एवं अन्य (2011) ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा में कार्य के दौरान अधिकारियों से संपर्क में आने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लोन सुविधा के बारे में जानकारी में भी सार्थक वृद्धि हुई।

सेबस्टियन और अजीज (2014) द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा के अतर्गत संपूर्ण कार्यों और जैव–विविधता सरक्षण से इनकी संबधता की संभावना की तलाश की गई। लेखकों का न केवल यह मानना है कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों से परिसंपत्तियां सृजित हुई है बल्कि उन्होने यह तर्क भी दिया है कि इन्हें अनिवार्य रूप से जैव–विविधता संरक्षण के बड़े एजेंडे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह विश्लेषण इस बात की भी पैरवी करता है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए हरित कार्यों को वानरोपण, वनप्रांत और संबंधित प्रचालनों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जैव–विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

सुभाष (2018) ने अपने शोध पत्र 'मनरेगा की उपलब्धियाँ, बदलता परिदृश्य एवं सम्भावनायें' में वर्णित किया है कि मनरेगा से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि इसकी वजह से गाँवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति का पलायन कम

होने लगा है। वे आगे लिखते हैं। वे आगे लिखते हैं कि मनरेगा के तहत चार विभिन्न प्रकार के वनीकरण और पौध रोपण के कार्य किये जाते हैं। इसमें सड़कों के किनारों पर, पंचायत या वन विभाग की भूमि पर, सार्वजनिक भवनों के परिसरों और निजि स्वामित्व वाले बगीचों में पेड़ लगाये जाते हैं।

उपर्युक्त समीक्षाओं के अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति को केंद्र में रखकर विभिन्न शोधों और रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित समीक्षाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो ऐतिहासिक रूप से पानी की कमी, कम कृषि उत्पादकता और बड़े पैमाने पर मौसमी पलायन के लिए जाना जाता है। ऐसे क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण आजीविका को सुरक्षा देने और गरीबी कम करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि चित्रकूट जैसे अत्यधिक पिछड़े और सूखा–प्रवण जिले में मनरेगा ने संकट के समय 'सेफ्टी नेट (सुरक्षा कवच)' का काम किया है। शोधकर्ताओं (जैसे ड्रेज और खेराय इम्बर्ट और पैप) का निष्कर्ष है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। बुंदेलखंड पर केंद्रित अध्ययन (जैसे सरकार और विकास संगठनों की रिपोर्ट) दर्शाते हैं कि कृषि कार्य न होने के दिनों में जब मजदूर दिल्ली, सूरत या मुंबई पलायन करने को मजबूर होते थे, तब मनरेगा ने उन्हें गांव में ही काम देकर 'विपत्ति पलायन' को काफी हद तक कम किया है। कोविड–19 महामारी के दौरान भी शहरों से लौटे मजदूरों के लिए यह योजना जीवनदान बनी है।

मनरेगा का सीधा प्रभाव ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति पर देखा गया है। अध्ययनों के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण श्रम बाजार में एक 'फ्लोर वेज (न्यूनतम मजदूरी सीमा)' तय कर दी है। इसके कारण निजी कृषि कार्यों में भी मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी है और उनका शोषण कम हुआ है। आर्थिक विश्लेषणों (जैसे रवि एवं एंगलर, 2015) से पता चलता है कि मनरेगा से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जिससे परिवारों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है।

चित्रकूट जैसे पारंपरिक समाजों में मनरेगा ने लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कानूनन एक–तिहाई महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होने के कारण चित्रकूट के गांवों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। बैंक खातों में सीधे मजदूरी (डीबीटी) आने से महिलाओं का पारिवारिक निर्णयों में महत्व बढ़ा है। यह योजना पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देती है, जिसने ग्रामीण भारत में लैंगिक मजदूरी अंतर को पाटने का काम किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए यह आजीविका का सबसे भरोसेमंद साधन बनकर उभरा है। चित्रकूट पानी की भारी किल्लत से जूझता है, इसलिए यहाँ मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की प्रकृति का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। अध्ययनों से सिद्ध होता है कि मनरेगा के तहत कराए गए तालाबों के जीर्णोद्धार, कुआं निर्माण, मेडबंदी और वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने भूजल स्तर को सुधारने में मदद की है। यह कृषि उत्पादकता को स्थिरता देने में सहायक रहा है।

हालांकि मनरेगा के प्रभाव सकारात्मक रहे हैं, लेकिन चित्रकूट के विशिष्ट संदर्भ में शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित समस्याओं को भी उजागर किया है। कई जमीनी अध्ययनों में पाया गया है कि काम पूरा होने के हफ्तों या महीनों बाद तक मजदूरी नहीं मिलती, जिससे गरीब मजदूरों का इस योजना से मोहभंग होने लगता है। साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि मनरेगा ने चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों को भुखमरी और अत्यधिक गरीबी से बचाया है। इसने उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया है।

2.1. शोध अंतराल : शोध अंतराल का मतलब है कि प्रस्तुत विषय पर पहले क्या काम नहीं हुआ है या किन पहलुओं को पुराने शोधकर्ताओं ने छोड़ दिया है, जिसे वर्तमान अध्ययन में पूरा करेंगे। चित्रकूट और बुंदेलखंड की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और हालिया तकनीकी परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तुत शोध को प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि व्यापक स्तर पर मनरेगा के प्रभाव पर बहुत साहित्य उपलब्ध है, लेकिन चित्रकूट के पठारी क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से पिछड़े आदिवासियों (जैसे कोल जनजाति) के जीवन पर नए नीतिगत बदलावों (जैसे 125 दिन का नियम) के तात्कालिक व वास्तविक प्रभाव पर केंद्रित समकालीन शोधों की अभी भी कमी है।

चित्रकूट पर उपलब्ध अधिकांश शोध सामान्य तौर पर ग्रामीण मजदूरों या 'अनुसूचित जाति/जनजाति' को एक बड़े समूह के रूप में देखते हैं। चित्रकूट में सीमान्त समूहों का जीवन पारंपरिक रूप से जंगलों और पत्थरों को तोड़ने पर निर्भर रहा है। मनरेगा ने इन विशिष्ट समूहों के जीवन स्तर, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यक्तिगत रूप से कितना बदला है, इस पर बहुत सीमित या न के बराबर विशिष्ट शोध हुआ है।

पहले के शोधों में माना गया था कि मनरेगा के आने से बुंदेलखंड से होने वाला मौसमी पलायन रुक गया है। लेकिन आज भी चित्रकूट से बड़े पैमाने पर मजदूर दिल्ली या सूरत की ओर पलायन कर रहे हैं। वर्तमान में जब 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के मुकाबले मजदूरों को औसतन केवल 65 दिन ही काम मिल पाता है, और एक–एक

करोड़ रुपये तक की मजदूरी महीनों बकाया रहती है, तो मनरेगा पलायन को रोकने में पूरी तरह सफल है या सिर्फ एक आंशिक सहारा? इस विरोधाभास पर एक नए और गहरे विश्लेषण की जरूरत है।

पुराने अध्ययन केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मजदूरों को कितने दिन का रोजगार मिला और कितनी मजदूरी मिली। मनरेगा के तहत चित्रकूट में बनाए गए कुएं, तालाब, मेढ़बंदी या वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने स्थानीय पर्यावरण और भूजल स्तर को कितना सुधारा है? क्या इन संपत्तियों के बनने से खुद उन गरीब मजदूरों की निजी खेती (यदि उनके पास थोड़ी बहुत जमीन है) में सुधार हुआ है या इसका फायदा केवल बड़े किसानों को मिला है? इस 'परिसंपत्ति प्रभाव' पर चित्रकूट के संदर्भ में ठोस शोध की कमी है।

कई रिपोर्ट्स केवल कागजी आंकड़ों (जैसे बैंक खातों की संख्या या जॉब कार्ड में नाम) के आधार पर महिला सशक्तिकरण का दावा करती हैं। चित्रकूट जैसे पुरुष–प्रधान ग्रामीण समाज में क्या बैंक खातों में सीधे आने वाले रुपये का उपयोग वास्तव में महिलाएं स्वयं अपनी मर्जी से कर पा रही हैं? या उनके पैसों पर आज भी परिवार के पुरुषों (पति/पिता) का नियंत्रण है? इस वास्तविक सशक्तिकरण के स्तर को मापना एक बड़ा रिसर्च अंतराल है। उपर्युक्त विद्यमान अंतराल के संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : प्रस्तुत शोध ''चित्रकूट जिले में ग्रामीण श्रमिकों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का एक अध्ययन" पर आधारित है। रैंडम सैंपलिंग तकनीक के जरिए चित्रकूट जिले के 20 से 60 साल की उम्र के 60 लोगों (महिला और पुरुष दोनों) को नमूने के तौर पर चुना गया। चित्रकूट जिले को खास तौर पर चुना गया क्योंकि यहाँ समाज के सीमांत समूहों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। आजीविका और रोजगार के लिहाज से गरीबी के आधार पर 6 गाँवों को चुना गया। घर की बनावट, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, सांस्कृतिक रीति–रिवाजों और परंपराओं के साथ–साथ सामाजिक मानदंडों से जुड़े डेमोग्राफिक आंकड़े को घर–घर जाकर इकट्ठा किया गया। ग्रामीणों की आजीविका, आय और खर्च के बदलते पैटर्न, योजना के बारे में जागरूकता, काम की गुणवत्ता के बारे में लोगों की राय, संपत्ति बनाने और बचत पर असर के बारे में आंकड़ों के लिए गहराई से इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया गया।

3.1 शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के चुने हुए गांवों में ग्रामीण लोगों की आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का इस्तेमाल किया गया। शोध को इस तरह से किया गया कि एक व्यवस्थित प्रश्नावली का उपयोग करके प्राथमिक डेटा इकट्ठा किया जा सके और उसका मात्रात्मक विश्लेषण किया जा सके।

3.2 अध्ययन का क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र है। प्रस्तुत शोध चित्रकूट जिला से संबंधित है। इस क्षेत्र का चुनाव शोध की महत्ता एवं समय सीमा को ध्यान में रखकर किया गया है। अध्ययन के समय विभिन्न मोहल्लों के मध्य आर्थिक असमानता जैसा अंतर भी ज्ञात हुआ, कुछ मोहल्ले आर्थिक रूप से संपन्न तो कुछ विपन्न और कुछ मिश्रित है। कुछ मोहल्ले विशेष जाति, वर्ग एवं समुदाय की विशेषता वाले है। विभिन्नताओं को भी प्रस्तुत अध्ययन में यथोचित स्थान दिया गया है।

3.3 शोध की आवश्यकता : प्रस्तावित शोध अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि 'मनरेगा' जो कि एक महत्वूपर्ण अधिनियम एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम है उसे और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे वह निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हो सके।

3.4 नमूने का आकार : प्रस्तुत शोध में 6 गांवों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि अपनाई गई। कुल 60 उत्तरदाताओं को चुना गया, जिनमें से प्रत्येक गांव से लाभार्थी शामिल हैं।

3.5 अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः

1. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को समझना।
2. ग्रामीण मजदूरों के आय, खर्च, बचत और पलायन के बदलते पैटर्न को समझना।
3. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामाजिक प्रभाव को समझना।
4. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन करना।

4. आंकड़ों का विश्लेषण : प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत शोध में इसका उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी समूहों की किसी घटना या लक्ष्य के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, सस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन

एव बोध के स्तर पर प्रभाव डालती है। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनके अचेतन मन पर भी पड़ता है।

सारणी–1 में मनरेगा के 60 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लिंग, जाति, धर्म तथा शैक्षिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में 32 (53.33 प्रतिशत) पुरुष तथा 28 (46.67 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में पुरुष लाभार्थियों की संख्या महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक है, यद्यपि दोनों की भागीदारी संतुलित दिखाई देती है। जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के 45.00 प्रतिशत लाभार्थी सर्वाधिक हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 33.33 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 21. 67 प्रतिशत लाभार्थी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों तक अधिक पहुँचा है।

सारणी-1: मनरेगा के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
लैंगिक संरचना	महिला	28	46.67
	पुरुष	32	53.33
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	13	21.67
	अन्य पिछड़ा वर्ग	20	33.33
	अनुसूचित जाति	27	45.00
धार्मिक संरचना	हिन्दू	44	73.33
	मुस्लिम व अन्य	16	26.67
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	21	35.00
	प्राथमिक शिक्षित	18	30.00
	माध्यमिक शिक्षित	15	25.00
	उच्च शिक्षित	06	10.00
	कुल उत्तरदाता	**60**	**100**

सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से धर्म के आधार पर 73.33 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू हैं, जबकि 26.67 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू लाभार्थियों का अनुपात अधिक है। शैक्षिक स्तर के अनुसार 35.00 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं, जो सबसे अधिक हैं। इसके बाद 30.00 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षित, 25.00 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित तथा 10.00 प्रतिशत उच्च शिक्षित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मनरेगा लाभार्थियों का शैक्षिक स्तर निम्न है और उच्च शिक्षा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

इस तरह सारणी से यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में मनरेगा के लाभार्थियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक है। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों की भागीदारी अधिक है, जो योजना की सामाजिक समावेशिता को दर्शाती है। अधिकांश लाभार्थी हिन्दू समुदाय से हैं तथा शिक्षा के स्तर पर अशिक्षित और प्राथमिक शिक्षित व्यक्तियों का प्रभुत्व है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित तथा कम शिक्षित वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सारणी-2: मनरेगा के बारे में राय का विवरण

मनरेगा के प्रति राय	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक	36	60.00
नकारात्मक	17	28.33
कह नहीं सकते	07	11.67
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी-2.1: मनरेगा गरीबी निवारण में सहायक

गरीबी निवारक	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ,	25	41.67
नहीं	22	36.67
कुछ कह नहीं सकते	13	21.66
कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–2 में मनरेगा के प्रति उत्तरदाताओं की राय को सकारात्मक, नकारात्मक तथा अनिश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी इसको उपयोगी एवं लाभकारी मानते हैं। वहीं 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक राय व्यक्त की, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ लाभार्थी योजना के क्रियान्वयन, रोजगार की उपलब्धता, मजदूरी भुगतान अथवा अन्य कारणों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 11.67 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके, जिससे यह पता चलता है कि कुछ लोगों का अनुभव या जानकारी पर्याप्त नहीं थी। इस तरह सारणी से स्पष्ट है कि मनरेगा के प्रति अधिकांश लाभार्थियों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं ने नकारात्मक राय व्यक्त की है, फिर भी समग्र रूप से योजना के प्रति लोगों का विश्वास एवं संतुष्टि का स्तर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है।

सारणी–2.1 में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है कि मनरेगा गरीबी निवारण में कितनी सहायक सिद्ध हुई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 25 (41.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा गरीबी

निवारण में सहायक है। इसके विपरीत 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि मनरेगा गरीबी निवारण में सहायक नहीं है। वहीं 21.66 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा को गरीबी निवारण में सहायक मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है, किन्तु सहायक मानने और असहमत उत्तरदाताओं के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है। यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों के लिए समान रूप से अनुभव नहीं किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनरेगा को गरीबी निवारण में सहायक मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन एक उल्लेखनीय संख्या इसे प्रभावी नहीं मानती तथा कुछ उत्तरदाता स्पष्ट राय देने में असमर्थ रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि योजना ने अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, किन्तु गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी-3: ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका			सारणी-4: मनरेगा का रोजगार सृजन से संबंध		
मनरेगा की भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत	रोजगार से संबंध	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	21	35.00	हाँ ,	28	46.67
नहीं	15	25.00	कुछ सीमा तक	17	28.33
सुधार की आवश्यकता	16	26.67	नहीं	08	13.33
कह नहीं सकते	08	13.33	रोजगार का भ्रम पैदा किया है	07	11.67
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–3 में ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 21 (35.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मनरेगा की कोई विशेष भूमिका नहीं है। इसके अतिरिक्त 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना में सुधार की आवश्यकता है, जबकि 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक उत्तरदाता मनरेगा को ग्रामीण विकास में सहायक मानते हैं, किन्तु एक उल्लेखनीय संख्या ऐसी भी है जो योजना में सुधार की आवश्यकता महसूस करती है। यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सकारात्मक है, परंतु इसके क्रियान्वयन में सुधार की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। अतः यह कह सकते हैं कि मनरेगा ग्रामीण विकास में सकारात्मक योगदान दे रही है। फिर भी उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग योजना के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए इसके कार्यान्वयन, पारदर्शिता, समय पर मजदूरी भुगतान तथा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता महसूस करता है।

सारणी–4 में मनरेगा द्वारा रोजगार सृजन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 28 (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा रोजगार सृजन में सहायक है। वहीं 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि यह कुछ सीमा तक रोजगार उपलब्ध कराती है। इसके विपरीत 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा का रोजगार सृजन से कोई विशेष संबंध नहीं है, जबकि 11.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना ने श्रम पर निर्भरता या श्रम संबंधी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता मनरेगा को प्रत्यक्ष या आंशिक रूप से रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम मानते हैं। केवल सीमित संख्या में उत्तरदाता इससे असहमत हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसे रोजगार सृजन का प्रभावी साधन माना है, जबकि कुछ उत्तरदाताओं ने इसे सीमित रूप से प्रभावी बताया। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

4.1 मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव : सारणी–5, 6, 7, 8, 9 और सारणी–10 में मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को दर्शाया गया है।

सारणी-5: ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि की स्थिति			सारणी-6: ग्रामीण मजदूरों के आर्थिक सुधार की स्थिति		
आय में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	आर्थिक सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	43	71.67	हां	36	60.00
नहीं	17	28.33	नहीं	24	40.00
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–5 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि मनरेगा में काम मिलने से पहले और बाद में ग्रामीण मजदूरों की मासिक या वार्षिक आय में क्या बदलाव आया है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा योजना से जुड़ने के बाद ग्रामीण मजदूरों की आय में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 43 अर्थात 71.67 प्रतिशत का मानना है कि मनरेगा के कारण उनकी आय में वृद्धि हुई है। यह एक बड़ा बहुमत है, जो दर्शाता है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई बढ़ाने में काफी हद तक सफल रही है। जबकि 28.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

सारणी–6 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों की समग्र आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 36 अर्थात 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से जुड़ने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों पर व्यापक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा से अधिकांश मजदूरों (71.67 प्रतिशत) की आय बढ़ी है और अधिकांश (60.00 प्रतिशत) की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, आय में वृद्धि (71.67 प्रतिशत) की तुलना में आर्थिक सुधार महसूस करने वाले लोगों का प्रतिशत (60.00 प्रतिशत) थोड़ा कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि आय तो बढ़ी है, लेकिन बढ़ती महंगाई या अन्य खर्चों की वजह से कुछ मजदूरों को अपनी समग्र आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम सिद्ध हुई है।

सारणी-7: अनौपचारिक ऋण की निर्भरता में कमी			**सारणी-8: बचत करने की क्षमता में वृद्धि की स्थिति**		
अनौपचारिक निर्भरता	उत्तरदाता	प्रतिशत	आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	41	68.33	हां	39	65.00
नहीं	19	31.67	नहीं	21	35.00
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–7 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा के कारण साहूकार आदि से ऋण लेने की आवश्यकता कम हुई है? यह सारणी दर्शाती है कि मनरेगा योजना से मिलने वाली आय ने मजदूरों को साहूकारों या अन्य अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की मजबूरी से किस हद तक मुक्त किया है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 41 अर्थात 68.33 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उनकी अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है। जबकि 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी ऋण निर्भरता में कोई कमी नहीं आई है।

सारणी–8 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा योजना से मिलने वाली आय के कारण मजदूरों की बचत करने की क्षमता बढ़ी है? यह सारणी मनरेगा के माध्यम से मजदूरों की आर्थिक स्थिति और उनके भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता में आए सुधार को दर्शाती है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 39 अर्थात 65.00 प्रतिशत का मानना है कि उनकी बचत करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। जबकि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनकी बचत करने की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मनरेगा योजना का ग्रामीण मजदूरों पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। अधिकांश उत्तरदाताओं (68.33 प्रतिशत) की ऋण लेने की मजबूरी कम हुई है और 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बचत करने की क्षमता में सुधार आया है, जो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

सारणी-9: परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति			**सारणी-10: परिवार की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति**		
पहले से बेहतर हुई	उत्तरदाता	प्रतिशत	पूर्ती में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	38	63.33	हां	33	55.00
नहीं	22	36.67	नहीं	27	45.00
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–9 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की अपेक्षा बेहतर हो रही है? यह सारणी यह दर्शाती है कि मनरेगा से मिलने वाले रोजगार और आय के बाद मजदूरों के परिवारों की रोजमर्रा या दैनिक जरूरतें (जैसे भोजन, ईंधन आदि) पहले से बेहतर ढंग से पूरी हो पा रही हैं या नहीं। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 38 अर्थात 63.33 प्रतिशत का मानना है कि मनरेगा से जुड़ने के बाद उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। जबकि 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

सारणी–10 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा से प्राप्त आय परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो रही है? यह सारणी दीर्घकालिक या बुनियादी आवश्यकताओं (जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्यध्इलाज, पक्का मकान आदि) की पूर्ति में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करती है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल 60 उत्तरदाताओं में से 33 अर्थात 55.00 प्रतिशत ने माना है कि उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में सुधार हुआ है। जबकि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि मनरेगा के बावजूद उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के आंकड़े स्पष्ट है कि आधे से अधिक ग्रामीण मजदूर (क्रमशः 63.33 प्रतिशत और 55. 00 प्रतिशत) मनरेगा के माध्यम से अपने परिवारों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार (63.33 प्रतिशत) का स्तर, बुनियादी जरूरतों (55.00 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दैनिक खर्च (भोजन आदि) नियमित मजदूरी से तुरंत संभल जाते हैं, जबकि बड़ी बुनियादी जरूरतों (जैसे शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य) के लिए अधिक स्थिर और ज्यादा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

4.2. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामाजिक प्रभाव : सारणी–11 से 16 तक मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर आर्थिक प्रभाव को दर्शाया गया है।

सारणी-11: मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार की स्थिति			सारणी-12: बच्चों की शिक्षा पर सुधार की स्थिति		
सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	सुधार में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	33	55.00	हां	36	60.00
नहीं	27	45.00	नहीं	24	40.00
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–11 में मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर में आए सुधार के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 33 (55.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जबकि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता मनरेगा को जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। नियमित रोजगार, आय में वृद्धि तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं, उल्लेखनीय संख्या ऐसे उत्तरदाताओं की भी है जिन्होंने किसी विशेष सुधार का अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों पर समान रूप से नहीं पड़ा है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसके लाभ को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ लाभार्थियों तक इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पहुँच पाया है। अतः योजना के प्रभावी क्रियांवयन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता बनी हुई है।

सारणी–12 में मनरेगा का लाभ मिलने के बाद उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा में सुधार के संबंध में उनकी राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 36 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है, जबकि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनके बच्चों की शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा से प्राप्त आय ने बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अतिरिक्त आय के कारण परिवार बच्चों की विद्यालयी आवश्यकताओं जैसे फीस, पुस्तकें, गणवेश एवं अन्य शैक्षणिक खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा में किसी विशेष सुधार का अनुभव नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक कारक भी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों के बच्चों की शिक्षा में सकारात्मक योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने शिक्षा में सुधार की पुष्टि की है, जिससे यह कहा जा सकता है कि योजना का प्रभाव केवल रोजगार और आय तक सीमित न रहकर परिवार के सामाजिक विकास, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है।

सारणी-13: स्वास्थ्य पर खर्च क्षमता में वृद्धि			सारणी-14: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि		
क्षमता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	भागीदारी में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	35	58.33	हां	39	65.00
नहीं	25	41.67	नहीं	21	35.00
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–13 में मनरेगा के कारण ग्रामीण मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी खर्च करने की क्षमता में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 35 (58.33 प्रतिशत) ने बताया कि मनरेगा के कारण उनकी स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी खर्च करने की क्षमता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा से प्राप्त आय के कारण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करने की क्षमता विकसित होने की बात स्वीकार की है। नियमित आय मिलने से दवा, उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पहले की तुलना में अधिक संभव हुआ है। हालांकि, 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार की कोई विशेष वृद्धि अनुभव नहीं की, जिससे यह संकेत मिलता है कि सभी परिवारों पर योजना का प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी व्यय क्षमता में सकारात्मक योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि योजना ने आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–14 में मनरेगा के कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में हुई वृद्धि के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 39 (65.00 प्रतिशत) ने माना कि मनरेगा के कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, जबकि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय अर्जित करने की क्षमता और आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ाया है। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि को स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रही है।

सारणी-15: महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका में वृद्धि			**सारणी-16: मजदूरों के पलायन में कमी की स्थिति**		
भूमिका में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	पलायन में कमी	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	37	61.67	हां	32	53.33
नहीं	23	38.33	नहीं	28	46.67
कुल उत्तरदाता	60	100	कुल उत्तरदाता	60	100

सारणी–15 में मनरेगा के कारण महिलाओं की पारिवारिक एवं आर्थिक निर्णय लेने की भूमिका में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 37 (61.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका में वृद्धि हुई है, जबकि 38. 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के आर्थिक, सामाजिक एवं घरेलू निर्णयों में उनकी सहभागिता बढ़ी है। आय अर्जित करने के अवसर मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा तथा परिवार में उनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली हुई है। हालांकि, 38.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जो यह दर्शाता है कि कुछ परिवारों एवं क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका अभी भी सीमित है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं के सशक्तिकरण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका में वृद्धि को स्वीकार किया है, जिससे यह योजना लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध होती है।

सारणी–16 में मनरेगा के कारण ग्रामीण मजदूरों के पलायन में आई कमी के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 60 उत्तरदाताओं में से 32 (53.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण मजदूरों के पलायन में कमी आई है, जबकि 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मनरेगा के कारण पलायन में कोई विशेष कमी नहीं आई है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरों के शहरों एवं अन्य राज्यों की ओर होने वाले पलायन को कम करने में योगदान दिया है। वहीं, लगभग आधे उत्तरदाताओं ने इस मत से असहमति व्यक्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में रोजगार की अवधि, कार्यों की उपलब्धता तथा

मजदूरी जैसी चुनौतियों के कारण पलायन की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों के पलायन को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने पलायन में कमी की पुष्टि की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने में सहायक रही है। हालांकि, बेहतर परिणामों के लिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त कार्यदिवसों की उपलब्धता तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4.3. मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन : सारणी–17 में लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर सामान्य प्रभाव का आकलन किया गया है, जिसके तहत 60 उत्तरदाताओं से मनरेगा के विभिन्न प्रभावों के संबंध में उनकी प्रतिक्रया प्राप्त की गई है। प्रतिक्रियाओं को समग्र सहमति, अनिश्चित तथा समग्र असहमति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी-17: लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव करक	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
मनरेगा ने मेरी आय में वृद्धि की है।	आवृत्ति	28	11	21	60
	प्रतिशत	46.67	18.33	35.00	100
मनरेगा से मेरे परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।	आवृत्ति	33	08	19	60
	प्रतिशत	55.00	13.33	31.67	100
मनरेगा ने ग्रामीण पलायन को कम किया है।	आवृत्ति	30	14	16	60
	प्रतिशत	50.00	23.33	26.67	100
मनरेगा से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।	आवृत्ति	34	09	17	60
	प्रतिशत	56.67	15.00	28.33	100
मनरेगा की मजदूरी समय पर मिलती है।	आवृत्ति	27	13	20	60
	प्रतिशत	45.00	21.67	33.33	100
मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना है।	आवृत्ति	36	07	17	60
	प्रतिशत	60.00	11.67	28.33	100
क्या मनरेगा के कारण गाँव से पलायन में कमी आई है?	आवृत्ति	28	12	20	60
	प्रतिशत	46.67	20.00	33.33	100
क्या मनरेगा में काम करने के बाद समाज में आपके सम्मान और आत्म-निर्भरता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	34	09	17	60
	प्रतिशत	56.67	15.00	28.33	100
क्या काम के आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है?	आवृत्ति	26	15	19	60
	प्रतिशत	43.33	25.00	31.67	100
क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?	आवृत्ति	29	10	21	60
	प्रतिशत	48.33	16.67	35.00	100

सारणी से स्पष्ट है कि 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा ने आय में वृद्धि के प्रति सहमति व्यक्त की, 18.33 प्रतिशत अनिश्चितता तथा 35.00 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा से उनकी आय में वृद्धि हुई है। परिवार के जीवन स्तर में सुधार के प्रति 55.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मनरेगा से उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जबकि 13.33 प्रतिशत अनिश्चित और 31.67 प्रतिशत असहमत हैं, जो यह दर्शाता है कि योजना ने जीवन स्तर सुधारने में सकारात्मक योगदान दिया है। ग्रामीण पलायन में कमी के प्रति 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा ने ग्रामीण पलायन को कम किया है, जबकि 23.33 प्रतिशत अनिश्चित और 26.67 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन को कुछ हद तक नियंत्रित किया है।

सारणी से स्पष्ट है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के प्रति 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मनरेगा से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, 15.00 प्रतिशत अनिश्चित तथा 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। यह दर्शाता है कि योजना ने महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाई है। मजदूरी समय पर लाभार्थियों की प्रतिक्रया बताती है कि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि मजदूरी समय पर मिलती है, जबकि 21.67 प्रतिशत अनिश्चित और 33.33 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समय पर भुगतान के मामले में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना के संदर्भ में सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी योजना है। केवल 11.67 प्रतिशत अनिश्चित और 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। यह योजना की उपयोगिता को दर्शाता है। गाँव से पलायन में कमी के बारे में 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि मनरेगा के कारण गाँव से पलायन में कमी आई है, जबकि 20.00 प्रतिशत अनिश्चित और 33.33 प्रतिशत असहमत हैं। इससे योजना के सकारात्मक प्रभाव का संकेत मिलता है।

समाज में सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि के प्रति 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा में कार्य करने के बाद समाज में उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 15.00 प्रतिशत अनिश्चित तथा 28.33 प्रतिशत असहमत हैं। कार्य आवंटन में सामाजिक/जातिगत भेदभाव के बारे में 43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि कार्य आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, जबकि 25.00 प्रतिशत अनिश्चित और 31.67 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में 48.33 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि 16.67 प्रतिशत अनिश्चित और 35.00 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अभी सुधार अपेक्षित है।

सारणी–17 में लिकर्ट स्केल पर मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव के समग्र आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विशेष रूप से आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबों के लिए योजना की प्रभावशीलता के संबंध में सहमति का प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्य आवंटन में भेदभाव जैसे विषयों पर अपेक्षाकृत अधिक असहमति दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजना सिद्ध हुई है।

5. परिणाम और परिचर्चा : महात्मा गांधी नरेगा योजना चित्रकूट मे जिस तरह से अपना कार्य कर रही है उससे निश्चित ही गरीब परिवारों को सहारा मिला है। यह योजना जिस तरह से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उससे प्रदेश मे गरीबी के खिलाफ अपने युध्द में हम कामयाब हो सकेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना चित्रकूट के पिछड़े क्षेत्रो में जहाँ योजना लागू है, वहाँ के गरीब परिवारों को सुरक्षा की छाँव मिली है। मजदूरी के लिए पलायन जैसी घटनाएँ अब ही होती। आजीविका सुरक्षा और बुनियादी जरुरतों की पूर्ति से उनके जीवन मे नयी आशा का संचार हुआ है। इस योजना के बाद शहरों की ओर होने वाले मजदूरो के पलायन मे भी कमी आई है। गाँवों मे मजदूरों की दर मे वृध्दि हुई है। प्राकृतिक संसाधनो को पुर्नजीवित एवं मजबूत करने एवं कार्यबल में अधोसंरचना को मजबूत करने में योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सुदृढ़ ग्रामीण अधोसंरचना की स्थपना की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करना है ताकि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाया सके।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने मनरेगा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विशेष रूप से आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबों के लिए योजना की प्रभावशीलता के संबंध में सहमति का प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्य आवंटन में भेदभाव जैसे विषयों पर अपेक्षाकृत अधिक असहमति दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजना सिद्ध हुई है।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा को सशक्त बनाना होगा। मनरेगा को दूसरे विकल्पों से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इसे कृषि और दूसरे कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। यह योजना तभी सफल हो सकती है, जब सक्रिय कामगारों को अनवरत काम मिले। सरकार को मनरेगा मजदूरों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा बीमा और और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। यदि कुछ मानकों पर मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है तो इसकी वजह सरकार की नीतियां और नीयत भी रही है। पंचायतों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बदलते वक्त में इसे कृषि, निर्माण और दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़े जाने की जरूरत है।

भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिन तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित भी हुई। यह जमीनी स्तर पर, मांग द्वारा संचालित, काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अभूतपूर्व

है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 18 साल में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है। इसलिए मनरेगा को बंद किया जाना व्यावहारिक नहीं है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को स्वच्छ भारत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सुधार कहा।

कोविड–19 महामारी और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने सरकार को वास्तविकता का अहसास करवाया है। पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अकेले मई 2020 में ही 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की थी, जो आठ साल में सबसे ज्यादा है। पूरा देश जानता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान व स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया।

मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए, क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। गरीब किसान परिवारों की सहायता में, फसल और मौसम बीमा की अनुपस्थिति में मनरेगा जैसे प्रभावी विकल्प को ढूंढा गया था, जो कृषि और आर्थिक संकट के दौरान खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों की सहायता करता रहा है। मजदूरी के भुगतान में देरी से ग्रामीण अंचल की खपत में भी गिरावट आ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह आवंटन के दौरान योजना की उपयोगिता, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार जारी रखने के लिए परिव्यय में संकुचित दृष्टिकोण न अपनाए। संकट को कम करने वाली योजना के रूप में मनरेगा की उपयोगिता को बनाए रखना ही श्रेयस्कर होगा।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ महिलाओं की आर्थिक आजादी, फैसले लेने में उनकी भागीदारी और सार्वजनिक जगहों पर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इन सकारात्मक नतीजों के बावजूद, मजदूरी के भुगतान में देरी, अपने अधिकारों के बारे में कम जानकारी और काम की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ सामने आईं, जो मनरेगा के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में बड़ी बाधाएँ हैं। मनरेगा के भविष्य के लिए पारदर्शिता को मजबूत करने, काम की जगह पर सुविधाओं को बेहतर बनाने और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मनरेगा की गतिविधियों को स्थानीय विकास योजनाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की कोशिशें भी की जानी चाहिए। साथ ही, समुदाय की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाकर मनरेगा के लिए ज्यादा जवाबदेही और अपनापन सुनिश्चित किया जा सकता है। कुशल और अर्ध–कुशल ग्रामीण युवाओं के लिए मनरेगा के तहत रोजगार के मौके बढ़ाना, टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

मनरेगा का एक बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन स्तर और खरीदने की क्षमता में सुधार के तौर पर देखा गया। मनरेगा ने बिना किसी भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मजदूरी देकर लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया। मनरेगा के कई प्रभावों से स्थानीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और गरीबी कुछ हद तक कम हुई। चूंकि शोध क्षेत्र में जमीन–विहीन गरीब लोग बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मनरेगा लागू होने से पहले वे खेती–बाड़ी और दूसरे मौसमी शारीरिक कामों पर निर्भर थे। लेकिन इलाके में मनरेगा लागू होने के बाद, स्थानीय लोगों की आजीविका में जबरदस्त सुधार हुआ है। लोगों के समग्र कल्याण के लिए रोजगार की गारंटी देने का मनरेगा का मकसद धीरे–धीरे लोगों के जीवन में असर दिखा रहा है, लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रभाव दिखने में अभी काफी समय लगेगा।

देश के ग्रामीण स्तर पर मनरेगा अपने आप मे बड़ी कामयाब योजना रही है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा से बेहतर विकल्प सरकार के पास नहीं हो सकता है। ऐसे समय में मनरेगा पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत गारंटीकृत काम के दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत अनुमंय कार्यों के दायरे में लगातार संशोधन

की आवश्यकता है। वह हितधारकों से परामर्श कर और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत क्षेत्र–विशिष्ट कार्यों को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ के दौरान भूमि कटाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण और चरने वाले जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए खेतों की सीमा पर काम करना।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरों में उतार–चढ़ाव उचित नहीं है। इसलिए पूरे देश में एकसमान मजदूरी दर के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है। मनरेगा के लाभार्थी आम तौर पर समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों से आते हैं। मनरेगा के तहत नाममात्र वेतन लाभार्थियों को हतोत्साहित करता है और उन्हें या तो अधिक पारिश्रमिक वाले काम की तलाश करने या शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए प्रेरित करता है। सीपीआई–कृषि श्रम के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)–ग्रामीण के अनुसार मनरेगा वेतन को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी काम पूरा होने पर मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी पाने के पात्र हो जाते हैं। इसके बावजूद लाभार्थियों को मजदूरी के भुगतान में अत्यधिक देरी होती है। हालांकि मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर, लाभार्थियों को देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजा पाने का अधिकार है। देश के ज्यादातर स्थानों पर देरी से मुआवजे के भुगतान का पालन नहीं किया जाता।

मनरेगा के तहत, जो व्यक्ति आवेदन करता है, लेकिन उसे 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। राज्य सरकारें इस भत्ते की दर निर्धारित करती हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। मनरेगा के तहत ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए। इस प्रावधान का कार्यान्वयन खराब है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण न किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसने ऑडिट अभ्यास समाप्त होने के तुरंत बाद इन रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में रखने की सिफारिश की। अधिनियम के तहत, प्रत्येक जिले में एक लोकपाल होना चाहिए जो शिकायतें प्राप्त करेगा, जांच करेगा और पुरस्कार पारित करेगा। लोकपालों की नियुक्ति में विफल रहने पर राज्यों पर दंडात्मक उपाय लागू किए जा सकते हैं या उनके फंड रोके जा सकते हैं। अतरू लोकपालों की नियुक्ति के अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों को साथ लाया जा सकता है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. तिवारी, राकेश (1990)। ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1990
2. बिष्ट, नारायण सिंह (1990)। भारत में ग्रामीण विकास, नारायण ट्रस्ट गोपेश्वर, चमोली, 1990
3. कोठारी, सी. आर. (1991)। रूरल डेवलेपमेंट स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, मानक पब्लिकेशन, दिल्ली, 1991
4. यादव, सुबह सिंह (1994)। ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, मानक पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 1994
5. पंकज ए, तन्खा आर.(2010)। महिला कामगारों पर नरेगा के सशक्तिकरण संबंधी प्रभावः चार राज्यों में एक अध्ययन. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2010। 45(30): 45–55.
6. हिरवे, इंदिरा (2012)। मनरेगाः भारत के लिए पूर्ण–रोजगार रणनीति का एक हिस्सा। काम का अधिकार और ग्रामीण भारत (पृष्ठ 47–71)। सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. डीनिंगर के, लियू वाई. (2013)। भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कल्याण और गरीबी प्रभावः आंध्र प्रदेश से साक्ष्य। विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर संख्या–6543, 2013।
8. मलंगमेइह एल, भट्टाचार्य के, मित्रा ए (2014)। ग्रामीण परिवारों की कृषि सुरक्षा पर मनरेगा का प्रभावः भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुरा जिले में एक केस अध्ययन। आर्थिक मामले, 59(2): 137.
9. सुमन, डॉ. पमेचा और शर्मा इंदु. (2015)। मनरेगा का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव–राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 20 गाँवों के लाभार्थियों के बीच किया गया एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, वॉल्यूम–5, अंक–1, 2250–3153।
10. पंडी, जे (2016)। टीएमएल में मनरेगा के खंड ग्रामीण परिवारों के लिए उत्पाद सुरक्षा। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 77(1): 91–106।
11. परिदा, जे (2016)। मनरेगा, जबरन पलायन एवं बेरोजगारी की स्थितिरू ओडिशा में एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 18(1–2): 17–39।
12. रेड्डी पी, कुमार एन, दिनेश टी, श्रुति के (2016)। उत्तर–पूर्वी कर्नाटक में लाभार्थियों की आय, खर्च और बचत के पैटर्न पर मनरेगा का असर। आर्थिक मामले, 61(1):101.
13. सरकार ए, इस्लारी जे (2017)। झारखंड में मनरेगा के मजदूरों से मिलने वाली मजदूरी एवं आय। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 13(1): 20–53.
14. राम्या, टी (2018)। मनरेगा और जेएनएनएक्सः लोकतंत्र प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में एक अध्ययन। अंतरिक्ष और संस्कृति, 156–169.

15. चोपड़ा डी.(2019)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), भारत। आईडीएस वर्किंग पेपर नंबर 531. 2019।
16. नारायणन आर, धोराजीवाला एस, गोलानी आर (2019)। मनरेगा में भुगतान में देरी और देरी के लिए मुआवजे का विश्लेषणः वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए दस राज्यों के नतीजे। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 62(1): 113–133।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, वैभव एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 20–34।